

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

संख्या- प्र०२/ल०ज०सं०/बजट/विधि प्रभार-०८/२६-१७६ /पटना, दिनांक- १३/१/१६

प्रेषक,

राजीव कुमार झा,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

E-Mail

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना ।

विषय- वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में विधि प्रभार इकाई अन्तर्गत आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में B.C.F. द्वारा उपबन्धित राशि का लघु सिंचाई स्थापनान्तर्गत विधि प्रभार इकाई में निम्न अंकित कार्यालय को कुल-९७.११६६५ लाख (संतानवे लाख ग्यारह हजार छः सौ पैसठ) रुपये मात्र का आवंटन दिया गया है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	कार्यालय का नाम	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना	97.11665	विभागीय स्वीकृतिदेश सं०-४१९७ दिनांक-२५.०६.२६ के आलोक में (छायाप्रति संलग्न)

२. वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में आवंटित राशि का व्यय निम्नांकित बजट शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

- I अनुदान माँग संख्या- : ५०
- II बजट शीर्ष खण्ड-II- : ८०००-आकस्मिकता निधि
- III मुख्य शीर्ष- : २७०२-लघु सिंचाई
- IV उप मुख्य शीर्ष- : ०२-भू-जल
- V लघु शीर्ष- : ००५-अन्वेषण
- VI उप शीर्ष- : ०००१-सर्वेक्षण एवं जाँच
- VII विपत्र कोड- : ८०००-५०-२७०२०२००५०००१
- VIII विषय शीर्ष : १३.०५-विधि प्रभार

३. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन है । किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई की जाय ।

4. आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान के रूप में कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी दोनों की होगी।
5. उक्त आवंटित राशि की निकासी कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार की जायेगी।
6. उक्त आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
7. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
8. व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
9. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

(राजीव कुमार झा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- 176

पटना, दिनांक- 13/07/24

E-Mail

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/अपर सचिव/उप सचिव/ आई0 टी0 मैनेजर,आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग,बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/अधीक्षण अभियन्ता (मु0) अनुश्रवण,पटना /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित जिला कोषागार/ महालेखाकार, बिहार,पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

82

बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

संचिका संख्या-प्र0-04/ल0ज0सं0/बैंक ऋण वसूली-04/07 (खण्ड-2)
सेवा में,

/पटना, दिनांक:-

महालेखाकार
बिहार, पटना।

विषय:-

DRAT, इलाहाबाद में अपील डायरी सं0-725/2026 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा अपील डायरी सं0-729/26 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में Pre-deposit रुपये 97,11,665/- (सन्तानवे लाख ग्यारह हजार छः सौ पैसठ) मात्र के भुगतान हेतु अग्रिम निकासी की स्वीकृति।

आदेश:-

स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मामले में प्रबंध निदेशक, भाल्को के पत्रांक 42 दिनांक 01.04.2026 के आलोक में DRAT, इलाहाबाद, अपील डायरी सं0-725/2026 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में Pre-deposit की राशि रुपये 87,26,704/- (सत्तासी लाख छब्बीस हजार सात सौ चार) एवं अपील डायरी सं0-729/26 बिहार राज्य एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में Pre-deposit की राशि रुपये 9,84,961.00/- (नौ लाख चौरासी हजार नौ सौ इकसठ) कुल रुपये 97,11,665/- (सन्तानवे लाख ग्यारह हजार छः सौ पैसठ) मात्र के भुगतान हेतु अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2.

इस राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2890 दिनांक 20.03.2023 तथा पत्रांक 5349 दिनांक 08.06.2026 में वर्णित प्रावधानों के तहत की जा रही है।

3.

राशि की निकासी जिला कोषागार पटना से की जायेगी।

4.

राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना होंगे।

5.

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान मांग सं0-50, बजट शीर्ष खण्ड II-8000-आकस्मिकता निधि, मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005-अन्वेषण, उप शीर्ष-0001-सर्वेक्षण एवं जाँच, विपत्र कोड-8000-50-2702020050001, विषय शीर्ष-13.05-विधि प्रभार मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

6.

इस राशि का भुगतान Registrar, DRAT, Allahabad के पक्ष में निर्गत अलग-अलग Demand draft के माध्यम से किया जायेगा।

7.

राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना द्वारा महालेखाकार, बिहार एवं विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

8.

प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग का अनुमोदन तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

ह0/-

(सुशांत कुमार)

सरकार के अपर सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/प्रबन्ध निदेशक, भाल्को को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

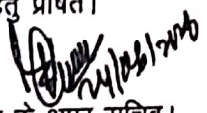
कू0पू0उ0



135
ज्ञापांक:- 4197

/पटना, दिनांक:- 25/06/26

प्रतिलिपि:- अपर सचिव -सह-बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/बजट प्रशाखा, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।